



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2( )परावि/प्रशा.1/RRDS/संस्था/प्रतिनियुक्ति/2018/ 4507 जयपुर,दिनांक:- 17.10.22

**-: आदेश :-**

श्रीमती दिपाली शर्मा, RRDS, हाल जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, श्रीगंगानगर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली कार्यालय में उप निदेशक के पद पर लिये जाने के संबंध में निम्न शर्तों के अध्याधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त अधिकारी की विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
2. विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. विभागीय नियुक्ति आदेश (जिसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है) में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(47)वित्त/गुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय समय पर यथासंशोधित) में वर्णित शर्तों के अधीन रहेगी।
5. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**(घनश्याम शर्मा)**

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 3454 दिनांक 26.05.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका, जयपुर।
8. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. श्रीमती दिपाली शर्मा, आरआरडीएस, जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ प्रेषित है।
10. निजी पत्रावली/आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)